



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.10.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 136 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 28.10.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा सहित अभियुक्त टीटू पुत्र श्याम बाबू निवासी सोम बाजार पुष्पा गार्डन तिलकराम कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 01 किलो 136 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे अवैध गांजा/शराब बेचता हूँ, मैं गांजा बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

टीटू पुत्र श्याम बाबू निवासी सोम बाजार पुष्पा गार्डन तिलकराम कालोनी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 01 किलो 136 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 11 अभियोग अवैध शराब, अवैध गांजा, अवैध चाकू बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

आज दिनांक 29.10.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अंतर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्तगण 1.महेश उर्फ काला पुत्र इतवारी निवासी बंद फाटक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. रोहित उर्फ गंजा पुत्र भोला निवासी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह तमंचा हमने लोगों में अपना रौब जमाने तथा डराने धमकाने के लिए अपने पास रखा हुआ था । हम इस तमंचे को लेकर बाहर निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1.महेश उर्फ काला पुत्र इतवारी निवासी बंद फाटक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

2.रोहित उर्फ गंजा पुत्र भोला निवासी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, पूर्व में थाना लोनी बॉर्डर पर अभियुक्त महेश उर्फ काला पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 02 भैंस व घटना में प्रयुक्त गाड़ी मैक्स पिकअप बरामद ।

दिनांक 27.10.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की 02 भैंस चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा-305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 28.10.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त शौकीन पुत्र हबीब निवासी मदीना मस्जिद 30 फुटा रोड अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की गयी 02 भैंस व घटना में प्रयुक्त गाड़ी मैक्स पिकअप बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मौका पाकर मैंने अपने साथियों आदिल, चांद उर्फ चन्दू व फरमान के साथ मिलकर इन भैंसों को चोरी कर लिया था, मैं भैंसों को बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शौकीन पुत्र हबीब निवासी मदीना मस्जिद 30 फुटा रोड अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.आदिल पुत्र शहीद निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद 2. चांद उर्फ चन्दू पुत्र बशीर निवासी एसएम कालोनी लिसारी रोड/डी ब्लॉक चौकी गणेशपुरी थाना ब्रहमपुरी, मेरठ 3. फरमान निवासी नजीबाबाद, बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की गयी 02 भैंस व घटना में प्रयुक्त गाड़ी मैक्स पिकअप बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 27.10.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री सुभाष पुत्र श्री देशराज सिंह निवासी ग्राम सिरौरा सलेमपुर, पोस्ट भूपखेडी टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि

मेरी बहन मंजू को उसके ससुरालजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना व दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर धारा 85,80,103(1),115(2),352,61(2) बीएनएस व धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद द्वारा सम्पादित की गयी तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 29.10.2026 को उक्त घटना में सलिप्त अभियुक्त 1. फिरे सिंह पुत्र भुल्लन सिंह नि0 म0नं0 1130 गली नं0 36 न्यू करहेड़ा कॉलोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया। 2. विशाल डेढा उर्फ वंश पुत्र फिरे सिंह नि0 म0नं0 1130 गली नं0 36 न्यू करहेड़ा कॉलोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को मिल्टन स्कूल के पास कसेरी टीला सिटी फारेस्ट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त फिरे सिंह व विशाल डेढा उर्फ वंश के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त फिरे सिंह व विशाल डेढा उर्फ वंश से पूछताछ करने पर बताया कि हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगडा होता रहता था। इसी बात से तंग व परेशान होकर मंजू ने फांसी लगा ली थी। जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता :-

1. फिरे सिंह पुत्र भुल्लन सिंह नि0 म0नं0 1130 गली नं0 36 न्यू करहेड़ा कॉलोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।
2. विशाल डेढा उर्फ वंश पुत्र फिरे सिंह नि0 म0नं0 1130 गली नं0 36 न्यू करहेड़ा कॉलोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त फिरे सिंह एवं विशाल डेढा उर्फ वंश उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर दहेज हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
दिनांक 26.10.2026 को थाना मसूरी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सोनू यादव पुत्र रामनरेश निवासी मास्टर कॉलोनी सिहानी चुंगी थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना एवं शादी करने के लिये कहने पर जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धारा- 69/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.10.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सोनू यादव पुत्र रामनरेश निवासी मास्टर कॉलोनी सिहानी चुंगी थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीड़िता से मेरी दोस्ती थी। मैंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू यादव पुत्र रामनरेश निवासी मास्टर कॉलोनी सिहानी चुंगी थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।